न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या 104/2018

जगदीश सिंह पुत्र श्री देबीसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

————————प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान ।

————————अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

आदेश दिनांक 05.08.2020

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, मौजा नगर, पटवार हल्का शिखरानी द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार ग्राम नगर स्थित भूमि खसरा संख्या 1166/368 रकबा 0.6637 है. किस्म बारानी 3 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्ण तरीके से मालिक हो काबिज चला आ रहा है एवं काश्त करता चला आ रहा है जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। उपरोक्त भूमि का पर आने जाने के लिए प्रार्थी सदियों से पूर्वजों के समय से खसरा संख्या 218/1 (सरकारी भूमि) में से रहा है एवं इन्हीं भूमियों में से आता–जाता रहा है। उक्त खसरा संख्या 218/1 की भूमि में से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने पूर्व में न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2016 जगदीश बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2016 को समस्त तथ्य सही मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया एवं प्रार्थी की भूमियों में आने–जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जिसकी प्रार्थी ने नियमानुसार शुल्क जमा करवा दी है किन्तु तदपरान्त प्रार्थी ने अपनी भूमियों में पेट्रोल पम्प खोलने हेतु आवेदन किया जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा निर्धारित मानदण्डों के तहत प्रार्थी को अपनी भूमियों में आने–जाने हेतु नियमानुसार 23 मीटर चौड़े रास्ते की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु सहमत एवं तत्पर है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है तथा इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है, के कारण ही प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निर्णित किया गया है। प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस एवं मौके की स्थिति के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग अधिकार, सुखाधिकार नहीं है और ना ही होना संभावित है। यह रकबा प्रार्थी के खेतों के समवर्ती इस रूप से बने हुये है कि प्रार्थी के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि से आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का उक्त भूमि से सुखाधिकार आवागमन अधिकार निहित है, तदनुसार उक्त भूमि येन केन निरन्तर उपयोग–उपभोग लिये जाने से प्रार्थी के पक्ष में सम्पूर्णतया अथवा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग (कम से कम 23 मीटर चौड़ा–जिसमें से 15 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व में दिया जा चुका है) में रास्ता उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी राजकीय दर (डीएलसी) भुगतान हेतु सहमत व तत्पर हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण सर्व प्रथम दिनांक 30.05.2018 को उत्पन्न व प्रोदभूत हुआ जब अप्रार्थी, ने प्रार्थी को रास्ता चौड़ा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। तदुपरान्त वाद कारण उस दिनांक को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी ने अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार महोदय, एवं अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तदुपरान्त वाद कारण दिन–प्रतिदिन प्रोदभूत होता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.09.07 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

..........लगातार

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान वाली प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी को 23 मीटर चौड़ा मार्गाधिकार उपलब्ध कराया जावे जो खसरा नम्बर 218/1 पर से होकर जा रहा है तदनुसार इन खसरा नम्ब्रान में रास्ते की तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थी के पक्ष रास्ते की अमल दरामद करने हेतु अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार महोदय को आदेशित करावें एवं अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी प्रसारित कर प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार बिजयनगर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक न्याय/931 दिनांक 20.08.2018 प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किये हैं कि राजस्व ग्राम नगर की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 136 के खसरा संख्या 1166/368 रकबा 0.6637 है। भूमि जगदीश सिंह पिता देवीसिंह कौम राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 1166/368 रकबा 0.6637 है। भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 218/1 सिवायचक भूमि दर्ज है। उक्त भूमि में से खातेदार को 218/3 रकबा 312 वर्गफीट का रास्ता पूर्व में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मसूदा के आदेश से खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया गया है। खातेदार के पास उक्त भूमि में आने जाने के लिए सिवायचक भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1166/368 में पेट्रोल पम्प खोलने हेतु आवेदन किया हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थी को पेट्रोल पम्प हेतु 23 मीटर चौड़े रास्ते हेतु प्रार्थी ने न्यायालय में वाद दावा दायर किया है। सिवायचक भूमि में से प्रार्थी को पूर्व में 15 फीट चौड़ा रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के यहां से आदेशित किया गया था। प्रार्थी पुनः उक्त खसरे में से ही 23 मीटर चौड़ा रास्ता लेने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। निर्धारित समय में न्यायालय के आदेश की पालना की जाएगी।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा रास्ते की भूमि बाबत् नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार होने के कथन किए तथा तहसीलदार बिजयनगर ने अपनी बहस में मौखिक कथन किए कि यदि प्रार्थी को रास्ते हेतु नियमानुसार भूमि दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी 2 संवत् 2071–74 के खाता संख्या 136 में अंकित खसरा संख्या 1166/368 रकबा 0.6637 किस्म बारानी 2 जगदीश सिंह वल्द देवीसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन आई सी आई सी आई बैंक बिजयनगर दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय संवत् 2071–74 के खाता संख्या 1 में अंकित खसरा संख्या 218/1 रकबा 0.5585 व खसरा संख्या 218/2 रकबा 1.0076 किस्म बारानी 3 बंजर भूमि दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार खसरा संख्या 218/1 रकबा 0.5585 हे. में से 218/3 (312 वर्गफीट) गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का नोट अंकित है। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। नगर पालिका बिजयनगर के अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जारी पत्रांक भूमि/4611 दिनांक 24.12.2019 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नम्बर 218/1 पालिका के नाम दर्ज नहीं है एवं पालिका पेराफेरी क्षेत्र में स्थित होने के कथन अंकित है। न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2016 उनवान जगदीश सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदेश दिनांक 07.10.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी के पक्ष में 312 [illegible] रास्ता नियमानुसार दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.09.07 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

..................लगातार

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1166/368 रकबा 0.6637 किस्म बारानी 2 स्थित है जिस पर आने जाने हेतु पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा प्रार्थी के आवेदन किये जाने के अनुरूप ही 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रार्थना पत्र के जरिए प्रार्थी अधिकतम 23 मीटर चौड़ा रास्ता चाहता है जो कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है। उक्त धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जिसके तहत प्रार्थी अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। चूंकि पूर्व में प्रार्थी ने स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट चौड़े रास्ते का अनुतोष प्रकरण संख्या 36/2016 आदेश दिनांक 07.10.2016 से प्राप्त कर लिया है। अतः अब प्रार्थी केवल 15 फीट चौड़ा रास्ता और प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ग्राम नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय संवत् 2071–74 के खाता संख्या 1 में अंकित खसरा संख्या 218/1 रकबा 0.5585 में से 15 फीट चौड़ाई के अनुसार रास्ता रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं व 15 फीट चौड़ाई के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार बिजयनगर द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थी 15 फीट चौड़ाई के अनुसार राजकोष में उक्त राशि का भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमियों में से रास्ते की भूमियों का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रभावित भूमियों में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। यह आदेश प्रार्थी द्वारा वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राजकोष मद में जमा कराने के पश्चात् उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे। आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.09.07 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested